

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 403]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 29 जुलाई 2017—श्रावण 7, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2017

क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-12.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 308-05-01-2010, 17 जून 2013 में संशोधन करते हुए उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएँ, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.1	राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन रु. 2.00 लाख तक के प्रकरण जिला स्तर से स्वीकृत किया जाना.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	10 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय संचालक सेवायें	15 कार्य दिवस.	स्वास्थ्य आयुक्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.2	विकलांगता प्रमाण-पत्र दिया जाना.	सिविल सर्जन	15 कार्य दिवस.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	कलेक्टर.
12.3	दीनदयाल अन्त्योदय उपचार योजना हेतु स्वास्थ्य कार्ड जारी करना.	(अ) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के लिए-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. (ब) जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र छोड़कर-विकासखंड चिकित्सा अधिकारी.	07 कार्य दिवस. 07 कार्य दिवस.	कलेक्टर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	15 कार्य दिवस. 15 कार्य दिवस.	संभागायुक्त. कलेक्टर.
12.4	राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण करना.	जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र के लिए-सिविल सर्जन. शेष क्षेत्र के लिए-विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी.	30 कार्य दिवस. 30 कार्य दिवस.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी. जिला टीकाकरण अधिकारी.	15 कार्य दिवस. 15 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.
12.5	आवेदक की आयु का चिकित्सीय सत्यापन.	सिविल सर्जन	30 कार्य दिवस.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	15 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं.
12.6	मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के प्रकरण स्वीकृत किया जाना	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	20 कार्य दिवस.	कलेक्टर	15 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं.
12.7	प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृह/रूजोपचार संबंधी स्थापनाओं को पंजीयन एवं अनुज्ञापन.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं.	15 कार्य दिवस.	संचालक अस्पताल प्रशासन.
12.8	प्रदेश में संचालित निजी उपचर्यागृह/रूजोपचार संबंधी स्थापनाओं के पंजीयन एवं अनुज्ञापन. का नवीनीकरण.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.	30 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं.	15 कार्य दिवस.	संचालक अस्पताल प्रशासन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.